



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18]
No. 18]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 18, 1982/पौष 28, 1903
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 18, 1982/PAUSA 28, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिलेखना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1982

आयकर

सा० का० नि० 22(अ).—दोहरे कराधान से बचने के लिए और आयकर करों की द्वायत वित्तीय अपबंधन के निवारण के लिए भारत गणराज्य की सरकार और सिंगापुर गणराज्य की सरकार के बीच उपबिज्ञ करार का, जैसा कि उक्त करार के अनुच्छेद 28 द्वारा प्रेषित है, अनुसमंथन हो गया है और अनुसमंथन की लिखितों का आदान-प्रदान हो गया है।

अतः केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और कम्पनी (लाभ) अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए यह निदेश देती है कि उक्त करार के सभी उपबंधों को भारत संघ में प्रभावी किया जाएगा।

उपबिज्ञ

आय पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपबंधन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार

तथा

सिंगापुर गणराज्य की सरकार

के बीच

करार

भारत गणराज्य की सरकार तथा सिंगापुर गणराज्य की सरकार, आय पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपबंधन को रोकने के लिए करार सम्पन्न करने की इच्छा से, नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई है:

अध्याय I

करार का क्षेत्र

अनुच्छेद 1

व्यक्तिक क्षेत्र

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो किसी एक अथवा दोनों संबिधाकारी राष्ट्रों के निवासी हैं।

अनुच्छेद 2

करार के अन्तर्गत करने वाले कर

1. यह करार अिन करों पर लागू होगा, वे हैं:

(क) भारत के मामले में :

(i) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन लगाया गया आयकर तथा आयकर पर कोई अधिभार ;

(ii) कम्पनी (लाभ) अधिभार अधिनियम, 1964 (1964 का 7) के अधीन लगाया गया अधिभार ; (जिसे इसके बाद 'भारतीय कर' कहा गया है) ।

(ख) सिंगापुर के मामले में

आयकर (जिसे इसके बाद 'सिंगापुर का कर' कहा गया है) ।

2. यह करार, किन्हीं समरूप श्रवणा सारतः वैसे ही करों पर भी लागू होगा जो इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के प्रतिरिक्त श्रवणा उनके स्थान पर बाद में लगाये गये हों ।

3. संबिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, उचित समय के भीतर, अपने-अपने कराधान कानूनों में किये गये महत्वपूर्ण परिवर्तनों से एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे और संगत अधिनियमों की प्रतियाँ भेजेंगे ।

अध्याय II**परिभाषाएं****अनुच्छेद 3****सामान्य परिभाषाएं**

1. इस करार में जब तक संदर्भ से श्रवणा श्रवणित न हों:

(क) 'संबिदाकारी राज्य' और 'दूसरे संबिदाकारी राज्य' पदों से, संदर्भ की श्रवणा के अनुसार, भारत श्रवणा सिंगापुर श्रवणित है ;

(ख) 'कर' शब्द से, संदर्भ की श्रवणा के अनुसार, भारतीय कर श्रवणा सिंगापुर का कर श्रवणित है ;

(ग) 'व्यष्टि' शब्द में वह व्यष्टि, कम्पनी और श्रवणा कोई इकाई शामिल है, जिसे अपने-अपने संबिदाकारी राज्य के कानूनों के अधीन एक कर योग्य एकाक के रूप समझा जाता है ;

(घ) 'कम्पनी' शब्द से कोई भी ऐसा नियमित निकाय श्रवणा कोई इकाई श्रवणित है जो अपने-अपने संबिदाकारी राज्य के कराधान कानूनों के अन्तर्गत कम्पनी के रूप में मानी जाती है ;

(ङ) 'एक संबिदाकारी राज्य का उद्यम' तथा 'दूसरे संबिदाकारी राज्य का उद्यम' पदों से श्रवणा: संबिदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित उद्यम और दूसरे संबिदाकारी राज्य के निवासी द्वारा संचालित उद्यम श्रवणित है ;

(च) 'सक्षम प्राधिकारी' पदों से श्रवणित है, भारत के मामले में, केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग); और सिंगापुर के मामले में वित्त मंत्री श्रवणा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;

(छ) 'अन्तर्राष्ट्रीय यातायात' पद से किसी ऐसे जलयान श्रवणा वायुयान द्वारा परिवहन श्रवणित है जो ऐसे किसी उद्यम द्वारा संचालित हो जिसको नियन्त्रण तथा प्रबन्ध व्यवस्था किसी संबिदाकारी राज्य में हो, सिवाय इसके कि जब जलयान श्रवणा वायुयान श्रवणा संबिदाकारी राज्य के स्थानों को बीच चलाया जाता हो ।

2. संबिदाकारी राज्यों में से किसी एक द्वारा इस करार के उपबन्धों के प्रवर्तन में किसी भी श्रवणा का, जो जहाँ परिभाषित नहीं हुआ हो, संदर्भ की श्रवणा श्रवणा न होने पर, वही श्रवणा होगा जो उस राज्य के उन करों से सम्बन्धित कानूनों के अन्तर्गत होता है जो इस करार पर लागू होते हैं ।

अनुच्छेद 4**प्राथमिक अधिभार**

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए, 'संबिदाकारी राज्य का निवासी' पद से श्रवणित है ऐसा कोई व्यक्ति जो उस राज्य के कराधान कानूनों के अनुसार एक संबिदाकारी राज्य का निवासी हो ।

2. जहाँ इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के कारण कोई व्यष्टि दोनों संबिदाकारी राज्यों का निवासी हो तो उस स्थिति में इस करार के प्रयोजनों के लिए उसकी निवासी दैवियत निम्नलिखित नियमों के अनुसार निश्चित की जायगी :-

(क) वह उस संबिदाकारी राज्य का निवासी माना जायगा जहाँ उसका स्थायी निवास-गृह हो । यदि उसका स्थायी निवास-गृह दोनों संबिदाकारी राज्यों में हो तो उस संबिदाकारी राज्य का निवासी माना जायगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और प्राथमिक सम्बन्ध घनिष्ठतर हैं ;

(ख) यदि उस संबिदाकारी राज्य का, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और प्राथमिक सम्बन्ध घनिष्ठतर हैं ; निश्चय नहीं किया जा सकता हो श्रवणा यदि उसका किसी भी संबिदाकारी राज्य में स्थायी निवास-गृह नहीं है तो वह उस स्थिति में उस संबिदाकारी राज्य का निवासी माना जायगा जिसमें उसका व्यावहारिक आवास हों ।

(ग) यदि उसका व्यावहारिक आवास दोनों संबिदाकारी राज्यों में है श्रवणा इनमें से किसी भी राज्य में नहीं है, तो संबिदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे ।

3. जहाँ व्यष्टि में श्रवणा कोई व्यक्ति, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के अनुसार दोनों संबिदाकारी राज्यों का निवासी हो तो वह उस संबिदाकारी राज्य का निवासी माना जायगा जिसमें उसका वास्तविक प्रबन्ध व्यवस्था का स्थान स्थित है ।

अनुच्छेद 5**स्थायी स्थापन**

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए, 'स्थायी स्थापन' पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान श्रवणित है, जहाँ उद्यम का कारोबार सम्पूर्ण-श्रवणा श्रवणा: चलाया जाता है ।

2. 'स्थायी स्थापन' पद में निम्नलिखित शामिल होंगे-

(क) प्रबन्ध का स्थान

(ख) शाखा ;

(ग) कार्यालय ;

(घ) कारखाना ;

(ङ) कर्मशाला ;

(च) खान, खदान, तेल-कूप श्रवणा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का श्रवणा स्थान ;

(छ) फार्म श्रवणा बागान ;

- (ज) ध्वन स्थल अथवा निर्माण अथवा प्रतिष्ठापन अथवा सामूहिक परियोजना जो छ. महीने में अधिक की अवधि तक कायम रहते हों।
3. 'स्थायी स्थापन' पदों में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जायगा :
- (क) उद्यम के माल अथवा पण्यों के केवल अण्डारण, प्रदर्शन अथवा वितरण के प्रयोजन के लिए सुविधाओं का प्रयोग ;
- (ख) उद्यम के माल अथवा पण्यों के केवल अण्डारण; प्रदर्शन अथवा वितरण के प्रयोजनार्थ स्टॉक रखना ;
- (ग) अन्य उद्यम द्वारा संसाधित करने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्यों का स्टॉक रखना ;
- (घ) उद्यम के लिए माल अथवा पण्यों को केवल क्रय करने अथवा सूचना एकत्र करने के प्रयोजनार्थ कारोबार के नियत स्थान का अनुरक्षण ;
- (ङ) उद्यम के लिए केवल शिक्षा, सूचना देने, वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा इसी प्रकार के कार्यों के प्रयोजनार्थ जो प्रारम्भिक अथवा साहायक किस्म के हों, कारोबार के नियत स्थान का अनुरक्षण।
4. किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम को, दूसरे संविदाकारी राज्य में कारोबार का कोई नियत स्थान न होने के बावजूद, उक्त दूसरे राज्य में स्थायी स्थापन माना जाएगा, यदि—
- (क) वह उक्त दूसरे संविदाकारी राज्य में चलाये जा रहे निर्माण अथवा प्रतिष्ठापन अथवा सामूहिक परियोजना के संबंध में पर्यवेक्षण का कार्य छ. महीने से अधिक समय तक करता हो; अथवा
- (ख) उक्त दूसरे संविदाकारी राज्य में लोक मनोरंजनकारियों (जैसे रंग-मंच, चल-चित्र, रेडियो अथवा टेलीविजन कलाकारों और संगीतज्ञों) अथवा खिलौनों की सेवायें प्रदान करना ही अब तक कि ऐसी सेवाओं की व्यवस्था के संबंध में उद्यम को प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य की सरकार की राजकीय निधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्त रूप से सहायता नहीं दी जाती हो। इस उप-पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ 'सरकार' शब्द में दोनों में से किसी संविदाकारी राज्य की राज्य सरकार, राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय कानूनी प्राधिकरण शामिल होंगे।
5. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 6 के उपबन्धों के बावजूद अन्य संविदाकारी राज्य के उद्यम के लिये अथवा उद्यम को और से किसी संविदाकारी राज्य में कार्य कर रहा कोई व्यक्ति प्रथमोक्त राज्य में उस उद्यम का स्थायी स्थापन माना जायेगा, यदि :
- (i) वह उस राज्य में उस उद्यम के लिये अथवा उद्यम की ओर से संविदा करने का प्राधिकार रखता है और उसका नियमित रूप से प्रयोग करता है; जब तक कि व्यक्तियों के क्रियाकलाप उस उद्यम के माल अथवा पण्यों के क्रय तक ही सीमित नहीं हो; अथवा
- (ii) वह, प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में, उस उद्यम के मामले माल अथवा पण्यों का ऐसा स्टॉक रखता है, जिसमें से वह उस उद्यम के लिये अथवा उस की ओर से नियमित रूप से आदेशों की पूर्ति करता है; अथवा
- (iii) वह, प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में, अत्यन्त अथवा लगभग अत्यन्त उस उद्यम के लिये अथवा ऐसे किसी अन्य उद्यम के लिये नियमित रूप से आदेश प्रदान करता है या जो उसके द्वारा नियंत्रित होता हो अथवा इसमें नियन्त्रक जित रखता हो।
6. इस संविदाकारी राज्य के उद्यम का अन्य संविदाकारी राज्य में माल इस कारण से स्थायी स्थापन नहीं माना जायेगा कि वह उस दूसरे

राज्य में किसी बलात्, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतन्त्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, वहां जहां ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों।

7. इस तथ्य से कि कोई कम्पनी, जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी का नियन्त्रण करती है अथवा उसके द्वारा नियंत्रित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में (चाहे किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) व्यापार अथवा कारोबार चलाती है स्वतः ही उन दोनों में से किसी भी कम्पनी के लिये उस दूसरी कम्पनी का स्थायी स्थापन नहीं बन जायेगी।

अध्याय III

प्राय का कराधान

अनुच्छेद 6

अचल सम्पत्ति से प्राय

1. अचल सम्पत्ति से प्राय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें ऐसी सम्पत्ति स्थित हो।

2. 'अचल सम्पत्ति' पद की परिभाषा उस संविदाकारी राज्य की विधि के अनुसार दी जायेगी, जिसमें सम्बन्धित सम्पत्ति स्थित है। इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे—अचल सम्पत्ति के उपसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वन विज्ञान कार्य में प्रयुक्त पशुधन तथा उपकरण, ऐसे अधिकार जिन पर भूमि सम्पत्ति सम्बन्धी सामान्य कानून के उपबन्ध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार, खनिज अण्डार, साधनों तथा अन्य प्राकृतिक साधनों का संचालन अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार/पोत तथा बियान अचल सम्पत्ति नहीं माने जायेंगे।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबन्ध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष प्रयोग से, किराये पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाली प्राय पर लागू होंगे।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 3 के उपबन्ध किसी उद्यम अचल सम्पत्ति से होने वाली प्राय और व्यावसायिक सेवाओं के निष्पादन के लिये इस्तेमाल में आने वाली अचल सम्पत्ति से होने वाली प्राय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद 7

कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य का उद्यम, यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में, वहां स्थित किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता हो तो उस उद्यम की प्राय अथवा लाभ केवल उसी संविदाकारी राज्य में कराये होंगे। यदि उद्यम पूर्वोक्त प्रकार से कारोबार कर रहा हो, तो उद्यम की प्राय अथवा लाभ पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में इस प्रकार की केवल उतनी ही प्राय अथवा लाभ पर कर लगाया जा सके जो उस स्थायी स्थापन के कारण हुए माने जा सकते हैं।

2. जहां किसी संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से कारोबार करता वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में उस स्थायी स्थापन के कारण उ उस प्राय अथवा लाभ का होता माना जायेगा जिन्के प्राप्त होने की अपेक्षा रहती, जब वह, उन्हीं अथवा वैसे ही परिस्थितियों के अन्तर्गत अथवा वैसे ही कार्यों में लगा हुआ कोई स्वतन्त्र उद्यम होता, जिस उद्यम का वह स्थायी स्थापन है, उसके साथ पूर्णतः स्वतन्त्र व्यवहार करता होता। किसी भी अवस्था में, जहां स्थायी स्थापन कारण हुए माने जा सकने वाले लाभ की सही रकम निर्धारित न

जा सकती हो अथवा उसका पता लगाना बहुत ही कठिन हो, तो स्थायी स्थापन के कारण हुए माने जा सकने वाले लाभ का अनुमान उपयुक्त भाषा पर लगाया जाये।

3. स्थायी स्थापन की आय अथवा लाभ के निर्धारण में उस व्यय की कटौतियों की स्वीकृति दी जायेगी, जो स्थायी स्थापन के प्रयोजनों के लिये किये गये हों, और उनमें इस प्रकार किये गये कार्यपालीय तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय शामिल रहेंगे, चाहे वे उस राज्य में किये गये हों जहाँ स्थायी स्थापन स्थित है, अथवा अन्यत्र।

4. कोई आय अथवा लाभ केवल इस कारण स्थायी स्थापन का हुए नहीं माने जायेंगे कि उस स्थायी स्थापन ने उस उद्यम के लिये माल अथवा पण्य वस्तुएं खरीदी हैं।

5. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, 'आय अथवा लाभ' पद का अर्थ उद्यम द्वारा चलाये जा रहे अथवा कारोबार से प्राप्त आय है; किन्तु इसमें किराये, रायस्टियों, तकनीकी सेवा संबंधी फीस, ब्याज, लाभांशों, पूंजीगत लाभों, अन्य उद्यम के कारोबार की व्यवस्था करने के लिये फीस अथवा किसी उद्यम द्वारा दूसरे उद्यम को अपनी तकनीकी, कुशल अथवा अन्य कार्यों की सेवायें उपलब्ध कराने के लिये प्राप्ता पारिश्रमिक अथवा फीस शामिल नहीं होंगी। इन मामलों में ऐसे मामले शामिल नहीं हैं जहाँ आय की ऐसी ही मद को उत्पन्न करने वाली सम्पत्ति अथवा अन्य अधिकार उद्यम के स्थायी स्थापन के साथ प्रभावी रूप से संबंधित हो। 'आय अथवा लाभ' पद में पीतों अथवा वायुयानों के संचालन से होने वाली आय भी शामिल नहीं होगी।

6. जहाँ आय की मदों का हक करार के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहाँ उन अनुच्छेदों के उपबन्ध इस अनुच्छेद के उपबन्धों से प्रभावित नहीं होंगे।

7. जहाँ इस अनुच्छेद में 'आय अथवा लाभ' पद से बाहर की आय की किसी मद के संबंध में हक करार के अन्य अनुच्छेदों में कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं होता वहाँ संबिदाकारी राज्यों में लागू कानून अपने-अपने संबिदाकारी राज्य में ऐसी आय को कर-निर्धारण तथा कराधान के मामले में प्रभावी होंगे।

अनुच्छेद 8

विमान परिवहन

1. एक संबिदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में विमान परिवहन से प्राप्त आय दूसरे संबिदाकारी राज्य में कर मुक्त रहेगी, जब तक कि वायुयान केवल दूसरे संबिदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही नहीं चलाया गया हो।

2. पैराग्राफ 1 के उपबन्ध, किसी मूल में भाग लेने, अथवा संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संचालक एजेंसी से प्राप्त होने वाले लाभ पर भी लागू होंगे।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 के प्रयोजनों के लिये, किसी संबिदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा दूसरे संबिदाकारी राज्य से विमान के संचालन से प्राप्त आय का अर्थ उस दूसरे संबिदाकारी राज्य में विमान में चलाये गये यात्रियों, डाक, पशुधन अथवा माल ले जाने से होने वाली आय होगी।

अनुच्छेद 9

जहाजरानों

1. किसी संबिदाकारी राज्य के उद्यम को दूसरे संबिदाकारी राज्य अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में पोत परिवहन से हुई आय पर उस दूसरे संबिदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, लेकिन ऐसी आय पर उस संबिदाकारी राज्य में प्रभावी कर को उस कर को पचास प्रतिशत के दर रकम में से घटा दिया जायेगा।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के प्रयोजनों के लिये, किसी संबिदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा दूसरे संबिदाकारी राज्य से पोत परिवहन से प्राप्त आय का अर्थ उस दूसरे संबिदाकारी राज्य में जनपोतों द्वारा भेजे गये यात्रियों, डाक, पशुधन अथवा माल को ले जाने से होने वाली आय होगी।

3. पैराग्राफ 1 तटवर्ती यातायात के परिणामतः उत्पन्न होने वाले लाभ पर लागू नहीं होगा।

अनुच्छेद 10

अनुबंधों उद्यम

जहाँ—

- (क) एक संबिदाकारी राज्य का उद्यम दूसरे संबिदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबन्ध, नियंत्रण अथवा पूंजी में, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है, अथवा
- (ख) वे ही व्यक्ति एक संबिदाकारी राज्य के उद्यम और दूसरे संबिदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबन्ध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं।

और दोनों में से किसी भी अवस्था में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय सम्बन्धों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं, जो वैसी शर्तों से भिन्न हैं, जैसी स्वतन्त्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, वहाँ ऐसा कोई लाभ जो उन शर्तों के न होने की हालत में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, परन्तु उन शर्तों के कारण प्राप्त नहीं हुआ, तो वह लाभ उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित किया जा सकेगा और वे तदनुसार कराधेय हो सकेंगे।

अनुच्छेद 11

लाभांश

1. जो कम्पनी एक संबिदाकारी राज्य की निवासी है, उसके द्वारा दूसरे संबिदाकारी राज्य के निवासी को अदा किये गये लाभांश प्रथमोक्त संबिदाकारी राज्य में कराधेय हो सकेंगे।

2. जहाँ कोई कम्पनी जो एक संबिदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संबिदाकारी राज्य से आय अथवा लाभ प्राप्त करती है, वहाँ वह दूसरे संबिदाकारी राज्य कम्पनी द्वारा अदा किये गये उन लाभांशों पर कोई कर नहीं लगायेगा जो उन व्यक्तियों को अदा किये गये हों जो उस दूसरे संबिदाकारी राज्य के निवासी नहीं हैं, अथवा कम्पनी के प्रतिरित लाभांशों पर प्रतिरित लाभ कर नहीं लगाया जायेगा, चाहे अदा किये गये लाभांश अथवा प्रतिरित लाभ पूर्णतः अथवा अंशतः उस दूसरे संबिदाकारी राज्य में उत्पन्न लाभांश अथवा आय के रूप में ही हों।

3. (क) जहाँ किसी ऐसी कम्पनी द्वारा लाभांश अदा किया गया हो जो सिंगापुर और मलयेशिया दोनों की निवासी है और जिस बैंक में लाभांश भोपित किया गया हो वह सिंगापुर में हुई हो, अथवा जहाँ किसी ऐसी कम्पनी द्वारा लाभांश अदा किया गया हो जो मलयेशिया की निवासी रही हो और उस लाभांश को अदा करते समय उस कम्पनी ने सिंगापुर गणराज्य की सरकार और मलयेशिया सरकार के बीच, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिये 26 दिसम्बर, 1968 का सिंगापुर में हस्ताक्षरित करार के अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये, अपने आपको सिंगापुर का निवासी घोषित किया हो, वहाँ लाभांश सिंगापुर की निवासी कम्पनी द्वारा अदा किया गया माना जायेगा।

(क) वह संगत कैंट्रि वर्क के दौरान ऐसी अवधि अथवा अवधियों के लिए मिगापुर में मौजूद रहा हो जो कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक नहीं है, और

(ख) पारिश्रमिक ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओरसे भदा किया गया हो जो भारत का निवासी हो, और

(ग) पारिश्रमिक नियोजक के किसी ऐसे स्थायी स्थापन द्वारा वहन नहीं किया गया हो जो मिगापुर में स्थित हो।

4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में एक संबिदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित पोत अथवा विमान पर नियोजन के संबंध में पारिश्रमिक पर कर केवल उस संबिदाकारी राज्य में लगाया जायगा।

अनुच्छेद 15

निदेशक-मंडल

1. इस संबिदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा, किसी ऐसी कंपनी के निदेशक-मंडल के सदस्य की हैसियत से जो दूसरे संबिदाकारी राज्य का निवासी है, प्राप्त निदेशक-फीस तथा इसी किस्म की अदायगियों पर उस दूसरे संबिदाकारी राज्य में कर लग मकेगा।

2. ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जिस पर पैराग्राफ 1 लागू होता हो, प्रबंधात्मक अथवा तकनीकी स्वरूप देनादिन कार्यों के निर्वाह के संबंध में कंपनी से प्राप्त पारिश्रमिक पर अनुच्छेद 14 के उपबंधों के अनुसार कर लग सकेगा।

अनुच्छेद 16

लोक मनोरंजनकर्ता और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 के उपबंधों के होते हुए भी, लोक मनोरंजनकर्ताओं (जैसे रंगमंच, बल-बिज, रेडियो अथवा दूर-दर्शन कलाकार तथा संगीतकार) अथवा खिलाड़ियों द्वारा अपने वैयक्तिक कार्यों से प्राप्त आय पर उस संबिदाकारी राज्य में कर लग सकेगा जिसमें ऐसे कार्य किए जाते हैं:

बशर्ते कि ऐसी आय पर उक्त संबिदाकारी राज्य में उत स्थिति में कर नहीं लगाया जाएगा जब उस राज्य में लोक मनोरंजनकर्ताओं अथवा खिलाड़ियों की यात्रा का व्यय पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः दूसरे संबिदाकारी राज्य की सरकार की सार्वजनिक निधियों से वहन किया जाना हो।

2. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, 'सरकार' शब्द में, दोनों संबिदाकारी राज्यों में से किसी भी संबिदाकारी राज्य को राज्य सरकार, कोई राजनीतिक उपमंडल, अथवा कोई स्थानीय अथवा सांविधिक प्राधिकरण सम्मिलित है।

अनुच्छेद 17

पेंशन और दायित्वियां

1. अनुच्छेद 18 के पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के अधीन, किसी संबिदाकारी राज्य के निवासी द्वारा प्राप्त पेंशनों अथवा दायित्वियों पर केवल उस संबिदाकारी राज्य में ही कर लगेगा।

2. 'पेंशन' शब्द का अभिप्राय उस नियत-कालिक भुगतान से है जो विगत समय के नियोजन के प्रतिफल के रूप में अथवा शारीरिक चोट की क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त किया गया हो।

3. 'दायित्वी' शब्द का अभिप्राय उस उल्लिखित राशि से है जो धन अथवा धन के मूल्य में पर्याप्त तथा पूर्ण प्रतिफल के लिये, अदायगियां करने के किसी दायित्व के अधीन, जीवन पर्यन्त अथवा विनिर्दिष्ट अथवा अप्रतिबंधित समयावधि के दौरान उल्लिखित समय पर देय होगी।

अनुच्छेद 18

सरकारी कार्य

1. किसी संबिदाकारी राज्य, अथवा किसी राजनीतिक उप-मंडल अथवा उसके स्थानीय अथवा सांविधिक प्राधिकरण द्वारा किसी चोट को, उस राज्य अथवा राजनीतिक उपमंडल अथवा स्थानीय अथवा सांविधिक प्राधिकरण के लिए की गई सरकारी स्वरूप की सेवाओं के लिए भरा किये गये, अथवा इन सन्धियों द्वारा निर्दिष्ट निधियों में से प्रदा किया गए पारिश्रमिक अथवा पेंशन पर कर केवल उस संबिदाकारी राज्य में लगेगा। तथापि यदि दूसरे संबिदाकारी राज्य में उस दूसरे राज्य का निवासी, जो प्रथमोक्त राज्य का नागरिक अथवा राष्ट्रिक नहीं हो, नियोजन में रहता है, तो पारिश्रमिक पर कर केवल उस दूसरे राज्य में ही लगेगा।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबंध भारतीय रिजर्व बैंक तथा मानिटरी आथॉरिटी आफ मिगापुर द्वारा भरा किये गये पारिश्रमिक अथवा पेंशन पर भी लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 2 में की गई व्यवस्था के विना, इस अनुच्छेद के उपबंध दोनों में से किसी भी संबिदाकारी राज्य द्वारा अथवा उनके राजनीतिक उप-मंडल अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा सांविधिक प्राधिकरण द्वारा, लाभों के प्रयोजनों के लिए किए गए किसी व्यापार अथवा कारोबार के बारे में की गई सेवाओं से संबंधित अभावधियों पर लागू नहीं होंगे।

अनुच्छेद 19

विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी तथा प्रशिक्षु

एक व्यक्ति, जो एक संबिदाकारी राज्य का निवासी है और जो दूसरे संबिदाकारी राज्य में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्कूल अथवा अन्य शैक्षिक संस्था में अनन्य रूप से एक विद्यार्थी के रूप में अथवा उसमें एक व्यावसायिक अथवा तकनीकी प्रशिक्षु के रूप में अस्थायी रूप से, उस दूसरे संबिदाकारी राज्य में उस दौरे के संबंध में उसके पहली बार पहुंचने की तारीख से छ. वर्षों से अतीतक की अवधि के लिए उपस्थित हो, उसे उस दूसरे संबिदाकारी राज्य में निम्नलिखित के संबंध में कर से छूट प्राप्त होगी—

(क) उसके अनुरक्षण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनों के प्रयोजित संबिदाकारी राज्य से भेजी गई सभी रकमों पर; तथा

(ख) उस दूसरे संबिदाकारी राज्य में की गई वैयक्तिक सेवाओं के लिए प्राप्त किसी पारिश्रमिक पर (जो प्रति वर्ष 7,500 भारतीय रु० अथवा मिगापुर की मुद्रा में इसके बराबर की रकम से अधिक न हो), ताकि ऐसे प्रयोजनों के लिए उसे उपलब्ध संसाधनों की कमी को पूरा किया जा सके।

2. कोई व्यक्ति जो एक संबिदाकारी राज्य का निवासी है और जो दूसरे संबिदाकारी राज्य में अनन्यरूप से अध्ययन, अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ दोनों संबिदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य की सरकार से अथवा किसी वैज्ञानिक, शैक्षिक, धार्मिक अथवा धर्मार्थ संगठन से अथवा दोनों संबिदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य द्वारा भारतभ्य किये गये तकनीकी सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत, अनुदान भत्ते अथवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में, उस दूसरे संबिदाकारी राज्य में उस दौरे के संबंध में उसके पहली बार पहुंचने की तारीख से छ. वर्षों से अतीतक की अवधि के लिए अस्थायी रूप से उपस्थित रहता है, उसे उस दूसरे संबिदाकारी राज्य में निम्नलिखित पर कर से छूट प्राप्त होगी—

(क) ऐसे अनुदान, भत्ते अथवा पुरस्कार को रकम पर;

(ख) उसके अनुरक्षण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्रयोजित संबिदाकारी राज्य से भेजी गई सभी तरह की रकमों पर; और

(ग) उस दूसरे संविदाकारी राज्य में की गई सेवा के संबंध में प्राप्त किसी पारिश्रमिक पर (जो प्रति वर्ष 7,500 भारतीय रुपये अथवा सिगापुर की मुद्रा में इसके समतुल्य रकम से अधिक न हो), यदि ये सेवाएं उसके अध्ययन, अनुसंधान, प्रशिक्षण से संबंधित हों अथवा उसमें प्रासंगिक हों।

3. कोई व्यक्ति, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी हो और जो दूसरे संविदाकारी राज्य में अनन्य रूप से, प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के कर्मचारी के रूप में अथवा उस राज्य के साथ हुए करार के अन्तर्गत, ऐसे उद्यम में किसी व्यक्ति से, अनन्य रूप से तकनीकी व्यावसायिक अथवा व्यापार संबंधों अनुभव प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ, उस दौरे के संबंध में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके पहली बार पहुंचने की तारीख से 12 महीने में अधिक की अवधि के लिए उपस्थित रहता हो, उसे उस दूसरे संविदाकारी राज्य में निम्नलिखित पर कर से छूट प्राप्त होगी—

(क) उसके अनुरक्षण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए प्रथम उल्लिखित संविदाकारी राज्य से, भेजी गई सर्वा रकमों पर; और

(ख) उस दूसरे संविदाकारी राज्य में की गई वैयक्तिक सेवाओं के लिए, किसी भी पारिश्रमिक पर, जहां तक कि वह प्रतिवर्ष 12,500 भारतीय रुपे अथवा सिगापुर की मुद्रा में इसके समतुल्य रकम से अधिक न हो, बशर्ते कि ऐसी सेवाएं, ऐसा अनुभव प्राप्त करने से संबंधित हों।

4. कोई व्यक्ति जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार के साथ किसी व्यवस्था के अन्तर्गत दूसरे संविदाकारी राज्य में अनन्य रूप से, प्रशिक्षण अथवा अध्ययन के प्रयोजनार्थ उपस्थित रहता है, उसे उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके द्वारा ऐसे प्रशिक्षण अथवा अध्ययन के कारण प्राप्त किये गये पारिश्रमिक के संबंध में कर से छूट प्राप्त होगी।

5. इस अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 20 के प्रयोजनों के लिए,

(क) (i) किसी व्यक्ति को भारत का निवासी माना जायेगा, यदि वह उस पूर्ववर्ती वर्ष में, जिसमें उसने सिगापुर का दौरा किया हो, अथवा 'पूर्ववर्ती वर्ष' के तुरन्त पहले वर्ष में भारत का निवासी रहा हो।

(ii) कोई व्यक्ति सिगापुर का निवासी समझा जाएगा, यदि वह भारत का दौरा करने के तुरन्त पड़ने सिगापुर का निवासी रहा हो;

(ख) एक संविदाकारी राज्य में, किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्कूल अथवा अन्य शैक्षिक संस्था के संघर्ष में 'मान्यताप्राप्त' शब्द के बारे में कोई संदेह होने की स्थिति में उसे उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निश्चित किया जायेगा।

अनुच्छेद 20

प्राध्यापक, अध्यापक तथा अनुसंधानकर्ता

1. एक व्यक्ति, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले एक संविदाकारी राज्य का निवासी रहा हो और जो किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्कूल अथवा अन्य ऐसी ही शैक्षिक संस्था के निर्माण पर, जो सिगापुर के मामले में उस राज्य के सक्षम प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त हो और भारत के मामले में सरकार, राज्य के किसी राजनीतिक उप प्रभाग अथवा किसी स्थानीय अथवा सांविधिक प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त हो, ऐसी शैक्षिक संस्था में अनन्य रूप से अध्यापन अथवा अनुसंधान दोनों ही के प्रयोजनार्थ उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उस अवधि के लिए जो दो वर्षों से अधिक न हो, दौरा करता है, उसे ऐसी

अध्यापन अथवा अनुसंधान-कार्य के लिए प्राप्त हुए पारिश्रमिक पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी।

2. यह अनुच्छेद अनुसंधान कार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा अनुसंधान कार्य मुख्यतः किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के किसी लाभ के लिए किया जाता है।

अनुच्छेद 21

सरकार और संस्थाओं की आय

1. संविदाकारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य की सरकार को दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी ऐसी आय के संबंध में कर से छूट प्राप्त होगी जो उस सरकार को उन दूसरे संविदाकारी राज्य से प्राप्त होती हो।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के प्रयोजनों के लिए, 'सरकार' शब्द का अभिप्राय—

(क) भारत के मामले में, भारत सरकार से है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे—

(i) राज्यों की सरकार तथा भारत के संघ राज्य क्षेत्र;

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक;

(iii) ऐसी कोई संस्था अथवा निकाय जिस पर समय-समय पर दोनों संविदाकारी राज्यों के मध्य सहमति हो।

(ख) सिगापुर के मामले में, सिगापुर की सरकार से है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे—

(i) मनिटिंग अथॉरिटी आफ सिगापुर;

(ii) बोर्ड आफ कमिशनर्स आफ करेंसी,

(iii) कोई भी ऐसी संस्था अथवा निकाय जिस पर दोनों संविदाकारी राज्यों के मध्य सहमति हो।

अनुच्छेद 22

आय, जिसका स्वष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया

आय की ऐसी खों पर जिनका इस करार के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में स्वष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, अलग-अलग राज्यों के कराधान कानूनों के अनुसार कर लगेगा।

अनुच्छेद 23

राहत की सीमा

अहाँ इस करार में (अन्य शर्तों के साथ अथवा उनके बिना) यह व्यवस्था है कि किसी संविदाकारी राज्य के लोगों से प्राप्त हुई आय पर, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी अथवा घटी दर पर कर लगेगा और दूसरे संविदाकारी राज्य में लागू कानूनों के अन्तर्गत उक्त आय पर, उसकी उस रकम के संदर्भ में कर लगाया जाता है जो उस दूसरे राज्य में भेजी गई हो अथवा वहाँ प्राप्त हुई हो, न कि उसकी पूरी रकम के संदर्भ में, वहाँ इस करार के अन्तर्गत मंजूर की जाने वाली कर की छूट अथवा कटौती प्रथमोलिखित राज्य में उतनी आय पर लागू होगी, जितनी उस दूसरे संविदाकारी राज्य में भेजी गई अथवा वहाँ प्राप्त हुई हो।

अध्याय

दोहरे कराधान के अपाकरण के लिए प्रणाली

अनुच्छेद 24

दोहरे कराधान का परिहार

1. इस करार में बनाए गये विपरीत प्रावधानों को छोड़कर दोनों में से किसी भी एक राज्य में लागू कानून अपने अपने संविदाकारी राज्य

में धाय के कराधान को शासित करते रहेंगे। जहाँ धाय पर दोनों राज्यों में कर लगता है वहाँ इस धनुच्छेद के निम्नलिखित पैराग्राफों के अनुसार दोहरे कराधान से राहत प्रदान की जायेगी।

2. (क) सिगापुर के कानूनों के अन्तर्गत और इस करार के उपबन्धों के अनुसार प्रत्यक्षतः अथवा कटौती द्वारा भारत के किसी निवासी को सिगापुर में स्थित माधनों से प्राप्त धाय पर भारत और सिगापुर दोनों में कर लगाया गया है, तो सिगापुर के देय कर की रकम को, उक्त धाय के सम्बन्ध में देय भारतीय कर के प्रति जमा मानने की स्वीकृति दी जायेगी, परन्तु वह जमा रकम भारतीय कर के उस अनुपात से अधिक नहीं होगी, जो भारतीय कर लगने योग्य सम्पूर्ण धाय का इस प्रकार की धाय से बनता हो।

(ख) उपर्युक्त उप-पैराग्राफ (क) में उल्लिखित जमा के प्रयोजनों के लिए, भारत के निवासी द्वारा सिगापुर के कर की वह रकम भदा कर दी गई मान ली जायेगी, जो देय हो गई होती परन्तु कर निर्धारण योग्य धाय की संगणना करने समय मंजूर की गई कटौती और निम्नलिखित उपबन्धों के अन्तर्गत कर की कटौती अथवा छूट विये जाने के कारण देय नहीं हुई—

(i) (क) आर्थिक विस्तार प्रोत्साहन (धायकर से राहत) अधिनियम के उपबन्ध;

(ख) धायकर अधिनियम की धारा 13(i) (न), 13(1) (घ), 13(1)(क), 13 (2), 13 क, 14 ख और 43क के उपबन्ध जहाँ तक कि वे लागू रहे हों तथा; इस करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख से उनमें कोई संशोधन नहीं किया गया हो अथवा उनमें ऐसे मामूली संशोधन हुए हो कि जिससे उनके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो;

(ii) कोई अन्य उपबन्ध जो बाद में कर से ऐसी छूट अथवा कटौती प्रदान करने के लिए किये गये हों, जिस पर संबिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी सहमत हों और जो पर्याप्त रूप से समान स्वरूप के हों, यदि वह उसके बाद संशोधित नहीं किया गया हो अथवा उसमें ऐसा मामूली संशोधन हुआ हो कि जिससे उसके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो।

3. (क) भारत के कानूनों के अन्तर्गत, और इस करार के उपबन्धों के अनुसार प्रत्यक्षतः अथवा कटौती द्वारा सिगापुर के किसी निवासी को भारत में स्थित साधनों से प्राप्त धाय पर भारत और सिगापुर दोनों में कर लगाया गया है, तो देय भारतीय कर की रकम को, उक्त धाय के सम्बन्ध में देय सिगापुर के कर के प्रति जमा मानने की स्वीकृति दी जायेगी, परन्तु वह जमा रकम, सिगापुर के कर के उस अनुपात से अधिक नहीं होगी, जो सिगापुर के कर लगने योग्य सम्पूर्ण धाय का इस प्रकार की धाय से बनता हो।

(ख) उपर उप-पैराग्राफ (क) में उल्लिखित जमा के प्रयोजनों के लिए सिगापुर के निवासी द्वारा भारतीय कर की वह रकम भदा कर दी गई मान ली जायेगी जो भारतीय कर के रूप में देय हो गई होती परन्तु कर लगने योग्य धाय की संगणना करने समय मंजूर की गई कटौती अथवा निम्नलिखित उपबन्धों के अन्तर्गत उस वर्ष के लिए, मंजूर की गई कर की छूट अथवा कटौती के कारण देय नहीं हुई—

(i) धाय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10(4), 10(4)क, 10(15)(i), 32क, 33क, 35ग, 54ड, 80गग, 80जज, 80 और 80ट, जहाँ तक कि वे लागू रही हों और इस करार पर हस्ताक्षर किये जाने की तारीख से उनमें कोई संशोधन नहीं किया गया हो अथवा उनमें ऐसा मामूली संशोधन किया गया हो कि जिससे उनके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो;

(ii) कोई अन्य उपबन्ध जो बाद में, कर से ऐसी छूट अथवा कटौती प्रदान करने के लिए किये गये हों जिनके बारे में दोनों संबिदा-

कारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच सहमति हो, और जो पर्याप्त रूप से समान स्वरूप के हों यदि वह उसके बाद संशोधित न हुए हों अथवा उनमें ऐसे मामूली संशोधन हुए हों कि जिससे उसके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो।

अध्याय

विशेष उपबन्ध

धनुच्छेद 25

सम-अवहार

1. एक संबिदाकारी राज्य के राष्ट्रियों अथवा नागरिकों पर दूसरे संबिदाकारी राज्य में ऐसी कोई कराधान व्यवस्था अथवा तत्सम्बन्धी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जायेगी जो उस कराधान से और उन सम्बन्धित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रियों अथवा नागरिकों पर वैसी ही परिस्थितियों में और वैसी ही शर्तों के अधीन लागू होती है अथवा हो सकती है। इस उपबन्ध का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि उससे एक संबिदाकारी राज्य को, जो दूसरे संबिदाकारी राज्य के ऐसे राष्ट्रियों को, जो प्रथमोल्लिखित राज्य के निवासी नहीं हैं, कर-सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए वे वैयक्तिक छूटें, राहतें और कटौतियाँ प्रदान करने का अधिकार प्राप्त होता है जो कानून केवल प्रथमोल्लिखित संबिदाकारी राज्य के नागरिकों को, अथवा ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त हैं जो उसमें विनिश्चित है तथा उस संबिदाकारी राज्य के निवासी नहीं हैं।

2. 'राष्ट्रियों अथवा नागरिकों' पदों का अर्थ है—

(क) वे सभी व्यक्ति, जिन्हें उस संबिदाकारी राज्य की राष्ट्रियता अथवा नागरिकता प्राप्त है; और

(ख) वे सभी विधिक व्यक्ति, भागीदारियाँ और संगठन, जिन्हें किसी संबिदाकारी राज्य में लागू कानून से ऐसी हैसियत प्राप्त है।

3. एक संबिदाकारी राज्य के उद्यम के दूसरे संबिदाकारी राज्य में स्थायी संस्थान पर, उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान लागू नहीं किया जायेगा जो उस दूसरे राज्य के वैसी ही परिस्थितियों में अथवा वैसी ही शर्तों के अधीन वैसी ही कार्य में प्रयुक्त उद्यम पर लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हों।

4. इस धनुच्छेद के उपबन्धों का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि उससे एक संबिदाकारी राज्य को, दूसरे संबिदाकारी राज्य के निवासियों को नागरिक हैसियत अथवा परिवार सम्बन्धी जिम्मेदारियों के कारण कराधान के प्रयोजनों के लिए किसी भी प्रकार की ऐसी वैयक्तिक छूटें, राहतें और कटौतियाँ प्रदान करने का अधिकार प्राप्त होता है, जो वह अपने निवासियों को प्रदान करता है।

5. एक संबिदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः, दूसरे संबिदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है, प्रयोजित संबिदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान व्यवस्था अथवा तत्सम्बन्धी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जायेगी, जो उस कराधान और तत्सम्बन्धी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस प्रयोजित संबिदाकारी राज्य के अन्य वैसी ही उद्यमों पर वैसी ही परिस्थितियों में और वैसी ही शर्तों के अधीन लागू है अथवा हो सकती है।

6. इस धनुच्छेद में 'कराधान' शब्द का अर्थ उन करों से है, जो इस करार का विषय है।

अनुच्छेद 26

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहाँ एक संविदाकारी राज्य का निवासी यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के कार्यों के कारण कराधान लगाया जाना है अथवा लगाया जायेगा, जो इस करार के अनुकूल नहीं है, तो वह इन राज्यों के राष्ट्रीय नियमों द्वारा उपबन्धित उपचारों के होते हुए भी, जिस संविदाकारी राज्य का निवासी है, अपना मामला उनके सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है, यह मामला कर निर्धारण अथवा शीत पर करके रोक रखने की तारीख से, इनमें से जो भी बाद में हो, तीन वर्षों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी उपयुक्त हल पर पहुँचने में असमर्थ हो तो, वह ऐसे कराधान के परिश्रम की दृष्टि से जो इस करार के अनुकूल नहीं हैं, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा, किये गये किसी भी करार को कार्यान्वित किया जायेगा चाहे संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों में कोई भी सम-सीमा क्यों न हो।

3. इस करार की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि कोई कठिनाईयाँ अथवा शंकाएँ उत्पन्न हों, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति में हल करने का प्रयास करेंगे। ये उन मामलों में दोहरे कराधान के आकस्मिकता के लिए परस्पर विचार विमर्श कर सकते हैं, जिनकी करार में व्यवस्था नहीं है।

4. इस करार के उपबन्धों को लागू करने के प्रयोजनों के लिए संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सी पत्र व्यवहार कर सकते हैं। सहमत होने से जब विचारों का मौखिक आदान-प्रदान उचित प्रतीत होता हो तो ऐसे आदान-प्रदान किसी आग के माध्यम से किये जा सकते हैं, जिनमें संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि हों।

अनुच्छेद 27

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे जो इस करार के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए अथवा उन करों के अपवर्जन को रोकने अथवा उनका पता बनाने के लिए आवश्यक है, जो इस करार का विषय हैं। इस प्रकार आदान-प्रदान की गई सूचना को गुप्त समझा जायेगा, लेकिन उसे ऐसी शक्तियों को (जिनमें न्यायालय अथवा प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) प्रकट किया जा सकेगा जो उन करों के निर्धारण, वसूली, प्रवर्तन, जांच पड़ताल अथवा अभियोजन में सम्बन्धित हों, जो इस करार के विषय हैं या ऐसे व्यक्तियों को प्रकट किया जा सकेगा जिनसे सूचना का सम्बन्ध है।

2. विशेष मामलों के संदर्भ में सूचना का आदान-प्रदान अनुरोध किये जाने पर भी किया जा सकेगा।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबन्धों का वहाँ नहीं लगाया जाएगा जिसमें कि किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित धारा लागू आवे :

- एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों अथवा आन्तरिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना ;
- ऐसी सूचना देना, जो एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों के अन्तर्गत अथवा प्रणामन की सामंस्थिति में प्राप्य नहीं है ;
- ऐसी सूचना देना, जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा राजस्व सम्बन्धी गुप्त प्रथमा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जि प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकूल हो।

1220 GI/81—2

अध्याय

उपसंहार

अनुच्छेद 28

प्रवर्तन

1. इस करार का अनुसमर्थन किया जायेगा और अनुसमर्थन दस्तावेजों का आदान-प्रदान सिंगापुर में किया जायेगा।
2. यह करार, अनुसमर्थन दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख को लागू होगा और इसके उपबन्ध :—

- (क) भारत में पहली अप्रैल 1979 को शुरू होने वाले कर-निर्धारण वर्ष और परवर्ती कर-निर्धारण वर्षों के लिए कर-निर्धारण योग्य आय के सम्बन्ध में।
- (ख) सिंगापुर में, 1 जनवरी 1979 को आरम्भ होने वाले वर्ष और परवर्ती कर-निर्धारण वर्षों के लिए कर-निर्धारण योग्य आय के सम्बन्ध में लागू होगा।

अनुच्छेद 29

समाप्ति

यह करार, अनिश्चित काल तक लागू रहेगा परन्तु कोई भी संविदाकारी राज्य वर्ष 1985 के बाद किसी भी कैलेण्डर वर्ष में जून के तीसरे दिन को अथवा उससे पहले दूसरे संविदाकारी राज्य को समाप्ति का नोटिस दे सकेगा और वही स्थिति में यह करार :

- (क) भारत में, जिस कैलेण्डर वर्ष में नोटिस दिया गया हो उसके अगले दूसरे कैलेण्डर वर्ष में तथा परवर्ती कर-निर्धारण वर्षों में अप्रैल के प्रथम दिन को शुरू होने वाले कर-निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में कर निर्धारण योग्य आय के बारे में,
- (ख) सिंगापुर में, जिस कैलेण्डर वर्ष में नोटिस दिया गया हो, उसके अगले द्वितीय कैलेण्डर वर्ष में तथा परवर्ती कर-निर्धारण वर्षों में जनवरी के प्रथम दिन को शुरू होने वाले कर-निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में कर निर्धारण योग्य आय के बारे में, लागू नहीं रहेगा।

जिनके साक्ष्य में इसके लिए विधिवत प्राधिकृत अधिकारियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किये हैं।

सिंगापुर में वर्ष एक हजार नौ सौ ईस्वी के अप्रैल मास के बीसवें दिन को अंग्रेजी भाषा में दो प्रतियों में किया गया।

(बी० एम० प्रोक्षा)

भारत सरकार की ओर से

(सुम उवांग)

सिंगापुर सरकार की ओर से

[सं० 11/31/69 एफ० टी० डी०]

२० रा० खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 1982

INCOME-TAX

G.S.R. 22(E).—Whereas the annexed Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Singapore for the avoidance of double taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income has been ratified and the Instruments of Ratification exchanged, as required by Article 28 of the said Agreement.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

Agreement BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE
FOR

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Singapore,

DESIRING to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

HAVE AGREED as follows :

CHAPTER I

SCOPE OF THE AGREEMENT

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Agreement shall apply to persons who are resident of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. The taxes to which this Agreement shall apply are :

(a) in the case of India :

(i) the income-tax and any surcharge on income-tax imposed under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);

(ii) the surtax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964) ;

(hereinafter referred to as "Indian tax").

(b) in the case of Singapore :

the income tax (hereinafter referred to as "Singapore tax").

2. This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are subsequently imposed in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 1 of this Article.

3. The competent authorities of the Contracting States shall notify to each other, within reasonable time, any significant changes which have been made in their respective taxation laws and furnish copies of relevant enactments.

CHAPTER II

DEFINITIONS

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. In this Agreement, unless the context otherwise requires:

(a) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or Singapore, as the context requires;

(b) the term "tax" means Indian tax or Singapore tax, as the context requires;

(c) the term "person" includes an individual, a company and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws of the respective Contracting States ;

(d) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company under the taxation laws of the respective Contracting States;

(e) the term "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean, respectively, an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(f) the term "competent authority" means, in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue); and in the case of Singapore, the Minister for Finance or his authorised representative;

(g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its control and management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State.

2. In the application of the provisions of this Agreement by either Contracting State, any term not defined herein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws in force in that State relating to the taxes to which this Agreement applies.

Article 4

FISCAL DOMICILE

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who is a resident of a Contracting State in accordance with the taxation laws of that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this article, an individual is a resident of both Contracting States then his residential status for the purposes of this Agreement shall be determined in accordance with the following rules :

(i) he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer;

(ii) if the Contracting State with which his personal and economic relations are closer cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;

(iii) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall determine the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this article, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include :

a place of management;

a branch ;

an office;

a factory;

a workshop;

a mine, a quarry, an oil well or other place of extraction of natural resources;

a farm or a plantation;

- (h) a building site or a construction or installation or assembly project which exists for more than six months.

3. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for enterprise.

4. An enterprise of a Contracting State, notwithstanding it has no fixed place of business in the other Contracting State, shall be deemed to have a permanent establishment in that other Contracting State if —

- (a) it carries on supervisory activities in that other Contracting State for more than six months in connection with a construction or installation or assembly project which is being undertaken therein; or
- (b) it provides the services of public entertainers (such as stage, motion picture, radio or television artistes and musicians) or athletes in that other Contracting State unless the enterprise is supported, wholly or substantially, from the public funds of the Government of the first-mentioned contracting State in connection with the provision of such services. For the purposes of this sub-paragraph, the term "Government" shall include a State Government, a political sub-division or a local or statutory authority of either Contracting State.

5. Subject to the provisions of paragraph 6 of this Article, a person acting in a Contracting State for or on behalf of an enterprise of the other Contracting State shall be deemed to be a permanent establishment of that enterprise in the first-mentioned State if :

- (i) he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts for or on behalf of the enterprise, unless the activities of the persons are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise; or
- (ii) he maintains in the first-mentioned Contracting State a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise from which he regularly fills orders for or on behalf of the enterprise; or
- (iii) he habitually secures orders in the first-mentioned Contracting State exclusively or almost exclusively, for the enterprise or any other enterprise which is controlled by it or has a controlling interest in it.

6. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other Contracting State through a broker, a general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute for either company a permanent establishment of the other.

CHAPTER II TAXATION OF INCOME

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable of fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall apply to income derived from the direct use, letting or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraph 1 and 3 of this Article shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The income or profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the income or profits of the enterprise may be taxed in the other Contracting State but only so much of such income or profits as is attributable to that permanent establishment.

2. Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the income or profits which it might be expected to make if it were an independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment. In any case, where the correct amount of profits attributable to a permanent establishment is incapable of determination or the ascertainment thereof presents exceptional difficulties, the profits attributable to the permanent establishment may be estimated on a reasonable basis.

3. In the determination of the income or profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. No income or profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purpose of this Article, the term "income or profits" means income derived by an enterprise from its conduct of a trade or business; but does not include income derived by an enterprise in the form of rents, royalties, technical service fees, interest, dividends, capital gains, fees for the management of the business of another enterprise, or remuneration or fees received by an enterprise for the furnishing to another enterprise of the services of its technical, skill or other personnel except where the property or other right giving rise to any such item of income is effectively connected with the permanent establishment of the enterprise. The term "income or profits" shall not also include income from operation of ships or aircraft.

6. Where items of income are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

7. Where no specific provision is made in the other Articles of this Agreement in respect of any item of income excluded from the term "income or profits" in this Article the laws in force in either of the Contracting States shall govern the assessment and taxation of such income in the respective Contracting States.

Article 8

AIR TRANSPORT

1. Income derived from the operation of aircraft in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be exempt from tax in the other Contracting State, unless the aircraft is operated solely between places within the other Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits derived from the participation in a pool, or a joint business or in an international operating agency.

3. For the purposes of paragraphs 1 and 2 of this Article income derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft from the other Contracting State shall mean income from the carriage of passengers, mail, livestock or goods loaded into an aircraft in that other Contracting State.

Article 9

SHIPPING

1. Income of an enterprise of a Contracting State derived from the other Contracting States from the operation of ships in international traffic may be taxed in that other Contracting State, but the tax chargeable in that other Contracting State on such income shall be reduced by an amount equal to fifty per cent of such tax.

2. For the purposes of paragraph 1 of this Article, income derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships from the other Contracting State shall mean income from the carriage of passengers, mail, livestock or goods shipped in that other Contracting State.

3. Paragraph 1 shall not apply to profits arising as a result of coastal traffic.

Article 10

ASSOCIATED ENTERPRISES

Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any income or profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but by reason of those conditions, have not so accrued may be included in the income or profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 11

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in the first-mentioned Contracting State.

2. Where a company which is a resident of a Contracting State derives income or profits from the other Contracting

State, that other Contracting State may not impose any tax on the dividends paid by the company to persons who are not resident of that other Contracting State, or subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in that other Contracting State.

3. (a) Where a dividend was paid by a company which was resident in both Singapore and Malaysia and the meeting at which the dividend was declared was held in Singapore, or where a dividend was paid by a company which was resident in Malaysia and at the time of payment of that dividend the company declared itself to be a resident of Singapore for the purposes of Article VII of the Agreement between the Government of the Republic of Singapore and the Government of Malaysia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income signed in Singapore on 26th December, 1968, the dividend shall be deemed to have been paid by a company resident in Singapore.

(b) Where a dividend was paid by a company which was resident in both Singapore and Malaysia and the meeting at which the dividend was declared was held in Malaysia, or where a dividend was paid by a company which was resident in Singapore and at the time of payment of that dividend, the company declared itself to be a resident of Malaysia for the purposes of Article VII of the Agreement between the Government of the Republic of Singapore and the Government of Malaysia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income signed in Singapore on 26th December, 1968, the dividend shall be deemed to have been paid by a company resident in Singapore.

Article 12

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in the first-mentioned Contracting State.

2. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local or a statutory authority or a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

3. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

4. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the Contracting State in which the income arises.

Article 13

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in the first-mentioned Contracting State.

2. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local or statutory authority or a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

3. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

4. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work (including motion picture films, or films or tapes for radio or television broadcasting), any patent, trademark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience, but does not include variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources which are dealt with under Article 6 of this Agreement.

Article 14

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 15, 16, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that Contracting State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of Singapore in respect of an employment exercised in India shall not be taxed in India if :

- (a) he is present in India for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days during the "previous year" concerned ; and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of an employer who is a resident of Singapore ; and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment which the employer has in India.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of India in respect of an employment exercised in Singapore shall not be taxed in Singapore if :

- (a) he is present in Singapore for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days during the calendar year concerned ; and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of an employer who is a resident of India ; and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment which the employer has in Singapore.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.

Article 15

DIRECTORS' FEES

1. Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. The remuneration which a person to whom paragraph 1 applies derives from the company in respect of the discharge of day-to-day functions of a managerial or technical nature may be taxed in accordance with the provisions of Article 14.

Article 16

PUBLIC ENTERTAINERS AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Article 14, income derived by public entertainers (such as stage, motion picture, radio or television artistes and musicians) or athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are performed :

Provided that such income shall not be taxed in the said Contracting State if the visit of the public entertainers or athletes to that State is supported, wholly or substantially, from the public funds of the Government of the other Contracting State.

2. For the purposes of this Article, the term "Government" includes a State Government, a political sub-division, or a local or statutory authority of either Contracting State.

Article 17

PENSIONS AND ANNUITIES

1. Subject to the provisions of paragraphs 1 and 2 of Article 18, pensions or annuities derived by a resident of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.

2. The term "pensions" means periodic payments made in consideration of past employment or by way of compensation for injuries received.

3. The term "annuities" means a stated sum payable periodically at stated times, during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 18

GOVERNMENTAL FUNCTIONS

1. Remuneration or pensions paid by, or out of funds created by a Contracting State, or a political sub-division or a local or statutory authority thereof, to any individual in respect of services rendered to that State or political sub-division or local or statutory authority in discharge of functions of a governmental nature shall be taxable only in that Contracting State. If, however, the employment is exercised in the other Contracting State by a resident of that other State not being a citizen or national of the first-mentioned State, the remuneration shall be taxable only in that other State.

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall also apply to remuneration or pensions paid by the Reserve Bank of India and the Monetary Authority of Singapore.

3. Save as provided in paragraph 2, the provisions of this Article shall not apply to payments in respect of services in connection with any trade or business carried on by either of the Contracting States or political sub-division or a local authority or statutory authority thereof for purposes of profit.

Article 19

STUDENTS, TRAINEES AND APPRENTICES

1. An individual who is a resident of a Contracting State and who is temporarily present in the other Contracting State solely as a student at a recognised university, college, school or other educational institution in that other Contracting State or as a business or technical apprentice therein, for a period not exceeding six years from the date of his first arrival in that other Contracting State in connection with that visit, shall be exempt from tax in that other Contracting State on—

- (a) all remittances from the first-mentioned Contracting State for the purposes of his maintenance, education or training ; and
- (b) any remuneration (not exceeding 7,500 Indian rupees or its equivalent sum in Singapore currency per annum) for personal services rendered in that other Contracting State with a view to supplementing the resources available to him for such purposes.

2. An individual who is a resident of a Contracting State and who is temporarily present in the other Contracting State for the purpose of study, research or training solely as a recipient of a grant, allowance or award from the Government of either of the Contracting States or from a scientific, educational, religious or charitable organisation or under a technical assistance programme entered into by the Government of either of the Contracting States for a period not exceeding three years from the date of his first arrival in that other Contracting State in connection with that visit shall be exempt from tax in that other Contracting State on—

- (a) the amount of such grant, allowance or award ;
- (b) all remittances from the first-mentioned Contracting State for the purposes of his maintenance, education or training ; and
- (c) any remuneration (not exceeding 7,500 Indian Rupees or its equivalent sum in Singapore currency per annum) in respect of services in that other Contracting State if the services are performed in connection with his study, research, training or are incidental thereto.

3. An individual who is a resident of a Contracting State and who is temporarily present in the other Contracting State solely as an employee of, or under contract with, an enterprise of the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of acquiring technical, professional or business experience from a person other than such enterprise, for a period not exceeding twelve months from the date of his first arrival in that other Contracting State in connection with that visit shall be exempt from tax in that other Contracting State on—

- (a) all remittances from the first-mentioned Contracting State for the purposes of his maintenance, education or training; and
- (b) any remuneration, so far as it is not in excess of 12,500 Indian Rupees or its equivalent sum in Singapore currency per annum, for personal services rendered in that other Contracting State, provided such services are in connection with the acquisition of such experience.

4. An individual who is a resident of a Contracting State and who is temporarily present in the other Contracting State under arrangement with the Government of that other Contracting State solely for the purpose of training or study shall be exempt from tax in that other Contracting State in respect of remuneration received by him on account of such training or study.

5. For the purposes of this Article and Article 20.—

- (a) (i) an individual shall be deemed to be a resident of India if he is resident in India in the 'previous year' in which he visits Singapore or in the immediately preceding 'previous year' ;

(ii) an individual shall be deemed to be a resident of Singapore if, immediately before visiting India, he is a resident of Singapore ;

- (b) the term "recognised" in relation to a university, college, school or other educational institution in a Contracting State shall, in the case of doubt, be determined by the competent authority of that State.

Article 20

PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCHERS

1. An individual who is a resident of a Contracting State immediately before making a visit to the other Contracting State, and who, at the invitation of any university, college, school or other similar educational institution, which in the case of Singapore is approved by the competent authority in that State and in the case of India is recognised by the Government, a political sub-division or a local or statutory authority of that State, visits that other Contracting State for a period not exceeding two years solely for the purpose of teaching or research or both at such educational institution, shall be exempt from tax in that other Contracting State on his remuneration for such teaching or research.

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

Article 21

INCOME OF GOVERNMENT AND INSTITUTIONS

1. The Government of one of the Contracting States shall be exempt from tax in the other Contracting State in respect of any income derived by such Government from that other Contracting State.

2. For the purposes of paragraph 1 of this Article, the term "Government"—

- (a) in the case of India, means the Government of India and shall include—
 - (i) the Government of the States and the Union Territories of India ;
 - (ii) the Reserve Bank of India ;
 - (iii) any such institution or body as may be agreed from time to time between the two Contracting States.
- (b) in the case of Singapore, means the Government of Singapore and shall include—
 - (i) the Monetary Authority of Singapore ;
 - (ii) the Board of Commissioners of currency ;
 - (iii) any such institution or body as may be agreed from time to time between the two Contracting States.

Article 22

INCOME NOT EXPRESSLY MENTIONED

Items of income which are not expressly mentioned in the foregoing Articles of the Agreement may be taxed in accordance with the taxation laws of the respective Contracting States.

Article 23

LIMITATION OF RELIEF

Where this Agreement provides (with or without other conditions) that income from sources in a Contracting State shall be exempt from tax, or taxed at a reduced rate in that Contracting State and under the laws in force in the other Contracting State the said income is subject to tax by reference to the amount thereof which is remitted to or received in that other Contracting State and not by reference to the full amount thereof, then the exemption or reduction of tax

to be allowed under this Agreement in the first-mentioned Contracting State shall apply to so much of the income as is remitted to or received in that other Contracting State.

(ii) any other provisions which may subsequently be made granting an exemption or reduction from tax which is agreed by the competent authorities of the Contracting States to be of a substantially similar character, if it has not been modified thereafter or has been modified in minor respects so as not to affect its general character.

CHAPTER IV

METHOD FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 24

AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting States will continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Agreement. Where income is subject to tax in both Contracting States, relief from double taxation shall be given in accordance with the following paragraphs of this Article.

2. (a) The amount of Singapore tax payable, under the laws of Singapore, and in accordance with the provisions of this Agreement, whether directly or by deduction, by a resident of India, in respect of income from sources within Singapore which has been subjected to tax both in India and Singapore, shall be allowed as a credit against the Indian tax payable in respect of such income but in an amount not exceeding that proportion of Indian tax which such income bears to the entire income chargeable to Indian tax.

(b) For the purposes of credit referred to in sub-paragraph (a) above, there shall be deemed to have been paid by the resident of India the amount of Singapore tax which would have been payable but for the deduction allowed in computing the assessable income, reduction of or exemption from tax under—

(i) (aa) the provisions of the Economic Expansion Incentives (Relief from Income Tax) Act.

(bb) the provisions of sections 13(1)(t), 13(1)(u), 13(1)(v), 13(2), 13A, 14B and 43A of the Income Tax Act, so far as they were in force and have not been modified since the date of signature of this Agreement, or have been modified in minor respects so as not to affect their general character,

(ii) any other provisions which may subsequently be made granting an exemption or reduction of tax which is agreed by the competent authorities of the Contracting States to be of a substantially similar character, if it has not been modified thereafter or has been modified in minor respects so as not to affect its general character.

3. (a) The amount of Indian tax payable, under the laws of India and in accordance with the provisions of this Agreement, whether directly or by deduction, by a resident of Singapore, in respect of income from sources within India which has been subjected to tax both in India and Singapore, shall be allowed as a credit against Singapore tax payable in respect of such income, but in an amount not exceeding that proportion of Singapore tax which such income bears to the entire income chargeable to Singapore tax.

(b) For purposes of the credit referred to in sub-paragraph (a) above, there shall be deemed to have been paid by the resident of Singapore the amount which would have been payable as Indian tax but for a deduction allowed in computing the taxable income or an exemption or reduction of tax granted for that year under :—

(i) sections 10(4), 10(4A), 10(15)(v), 32A, 33A, 35C, 54E, 80CC, 80HH, 80J and 80K of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), so far as they were in force and have not been modified since the date of signature of this Agreement, or have been modified in minor respects so as not to affect their general character,

CHAPTER V

SPECIAL PROVISIONS

Article 25

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals or citizens of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals or citizens of that other Contracting State in the same circumstances and under the same conditions are or may be subjected. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to nationals of the other Contracting State not resident in the first-mentioned Contracting State those personal allowances, reliefs and reductions for tax purposes which are by law available only to citizens of the first-mentioned Contracting State or to such other persons as may be specified therein who are not resident in that Contracting State.

2. The term "nationals or citizens" means :

(a) all individuals possessing the nationality or citizenship of a Contracting State ; and

(b) all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in a Contracting State.

3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other Contracting State than the taxation levied on enterprises of that Contracting State carrying on the same activities in the same circumstances or under the same conditions.

4. The provisions of this Article shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned Contracting State are or may be subjected in the same circumstances and under the same conditions.

6. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Agreement.

Article 26

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Agreement, he may notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present the case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. The case must be presented within three years from the date of the assessment or of the withholding of tax at the source whichever is later.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able

to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with this Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purposes of applying the provisions of this Agreement. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 27

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or for the prevention or detection of evasion of the taxes which are the subject of this Agreement. Any information so exchanged shall be treated as secret but may be disclosed only to persons (including a court or administrative body) concerned with the assessment, collection, enforcement, investigation or prosecution in respect of the taxes which are the subject of this Agreement, or to persons with respect to whom the information relates.

2. The exchange of information may also be on request with reference to particular cases.

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State ;
- (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State ;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

CHAPTER VI

FINAL PROVISIONS

Article 28

ENTRY INTO FORCE

1. This Agreement shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Singapore.

2. This Agreement shall enter into force on the date of the exchange of the instruments of ratification and its provisions shall have effect :

- (a) in India, in respect of income assessable for the assessment year commencing on the 1st day of April, 1979 and subsequent assessment years.
- (b) in Singapore, for the year of assessment commencing on the 1st day of January, 1979 and subsequent years of assessment.

Article 29

TERMINATION

This Agreement shall continue in effect indefinitely but either of the Contracting States, may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year after the year 1985 give notice of termination to the other Contracting State and, in such event, this Agreement shall cease to be effective :

- (a) in India, in respect of income assessable for the assessment year commencing on the 1st day of April in the second calendar year following the calendar year in which the notice is given and the subsequent assessment years.
- (b) in Singapore, in respect of income assessable for the year of assessment commencing on the 1st day of January in the second calendar year following the calendar year in which the notice is given and the subsequent years of assessment.

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto, have signed the present Agreement.

Done in duplicate at Singapore this 20th day of April of the year one thousand nine hundred and eighty-one in the English language.

Sd/- B. M. Oza
For the Govt. of India

Sd/- Hsu Tse-Kwang
For the Govt. of Singapore

[F. No. 11/31/69-FTD]
R. R. KHOSLA, Jt. Secy.